O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No.
20 OCT 2023

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:— U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :— कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :— 01–01 / अ.प्र.क. / 16 / 2023 / 5396 रायपुर, दिनांक 16/10/2023

(अपील प्रकरण कमांक 16 / 2023)

कविता सिंह आवेदिका
अम्बिकापुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 16/10/2023 को पारित)

आवेदिका कविता सिंह, अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित समय में किसी प्रकार की सूचना / जानकारी प्रदान न करने के कारण जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)— दो, के विरूद्ध सूचनाधिकार की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज :—	01 जनवरी 2010 से 26 जून 2023 तक पुरे छ.ग. में **CSPTCL** एवं **CSPHCL** के सभी कार्यालयों से मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स, मैट्रिक्स सर्विस एवं गुरूकृपा ग्रुप को हुए किसी भी प्रकार के टेंडर / कार्य आदेश की प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका की अपील त कारण :—	मैने जनसूचना अधिकारी कार्या.— प्रबंध निदेशक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस. कं.लिमि, रायपुर के समक्ष आवेदन दिनांक 26.06.2023 को जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था। जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में किसी प्रकार की सूचना / जानकारी प्रदान ना करने के कारण से प्रथम अपील प्रस्तुत है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :—	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		28.08.2023	उक्त निर्धारित तिथि के संबंध में आवेदिका को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं आवेदिका अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		04.10.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं आवेदिका पुनः अनुपस्थित। अतः अपील में गुण—दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क / कथन :—		आवेदिका को चाही गई जानकारी / दस्तावेज के संबंध में निर्धारित समयावधि (30 दिवस के पूर्व) स्पीड पोस्ट के द्वारा पत्र कमांक 4013 दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से धारा 5(5) के अनुसार 02 पृष्ठों की जानकारी संलग्न करते हुए अवगत

			कराया गया है कि छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, (मा.सं.) एवं पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी (मा.सं.) कार्यालय के अंतर्गत 01 जनवरी 2010 से 26 जून 2023 तक की अवधि में मेसर्स आर. के. एसोसिएट्स, मैट्रिक्स सर्विस एवं गुरूकृपा ग्रुप को किसी प्रकार का टेंडर/कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। अतएव इस कार्यालय की जानकारी निरंक है। उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा पुरे छ.ग. में पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के सभी कार्यालयों से मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स, मैट्रिक्स सर्विस एवं गुरूकृपा ग्रुप को हुए किसी भी प्रकार के टेंडर/कार्य आदेश की जानकारी चाही गई है, जो इस कार्यालय के अतिरिक्त ट्रांसमिशन कंपनी के समस्त कार्यालयों से संबंधित है। तत्संबंध में आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 3906 दिनांक 26. 07.2023 (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से सूचित किया गया है कि ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत वर्तमान में कुल 74 अलग–अलग कार्यालय मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर संचालित है। समस्त कार्यालय में पृथक–पृथक जनसूचना अधिकारी पदस्थ है। चूंकि आपके द्वारा वांछित जानकारी का निकटतम संबंध इस कार्यालय के अतिरिक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से भी संबंधित है। अतः समस्त कार्यालयों से संबंधित जानकारी /दस्तावेज एकत्र कर उपलब्ध कराया जाना विधि संगत नहीं है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/दस्तावेज दिया जाना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। चूंकि आपके द्वारा पुरे छ.ग. के अधीन ट्रांस. कंपनी की जानकारी चाही गई है, जो अलग–अलग कार्यालयों से संबंधित है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के संख्या क्रमांक 10/02/2008–आई. आर.दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार कृपया ट्रांसमिशन कंपनी के समस्त कार्यालयों के जनसूचना अधिकारी के समक्ष नियमानुसार पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर, वांछित जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार आवेदिका को ट्रांस. कंपनी के (मा.सं.) कार्यालय एवं पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी

			कार्यालय की जानकारी जो निरंक है से अवगत करायी गई है।

(3) – प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही की गई है। आवेदिका द्वारा जनसूचना अधिकारी से 01 जनवरी 2010 से 26 जून 2023 तक पुरे छ.ग. में **CSPTCL** एवं **CSPHCL** के सभी कार्यालयों से मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स, मैट्रिक्स सर्विस एवं गुरूकृपा ग्रुप को हुए किसी भी प्रकार के टेंडर/कार्य आदेश की प्रति चाही गई है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) के अनुसार सहायता लेकर आवेदिका को ट्रांस. कंपनी के (मा.सं.) कार्यालय एवं पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी की निरंक जानकारी से अवगत करायी गई है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना/जानकारी दिया जाना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है।

आवेदिका द्वारा पुरे छ.ग. स्टेट के पॉवर ट्रांस. कंपनी कार्यालयों की जानकारी चाही गई है। चूंकि छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर एक लोकप्राधिकारी है। अतएव छ.ग. के समस्त ट्रांस. कंपनी कार्यालयों की जानकारी/दस्तावेज एकत्र कर आवेदिका को उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत होगा। अतएव जनसूचना अधिकारी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत आवेदिका का अपील तर्क एवं आवेदन क्रमांक 66 दिनांक 04.09.2023 स्वीकार योग्य है। चूंकि आवेदिका द्वारा लगभग 13 वर्ष पुराने जानकारी/दस्तावेज की मांग की गई है। जिसे पूरे छ.ग. के पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी कार्यालयों से एकत्र किये जाने में समय लगने की संभावना है।

अतएव जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि धारा 05 की उपधारा (4)(5) के अंतर्गत तालिका 02 (1) में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज ट्रांस. कंपनी के समस्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से संकलित कर, आवेदिका को यथारूप में अपील आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

उक्त निर्देश के दृष्टिगत तदनुसार अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

16/10/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक – 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) कविता सिंह, बौरीपारा, शिकारी रोड़, गली–02, तह./था./पो.–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) पिन –497001 ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर